भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/61/2015 दिनांकः 24 अक्तूबर, 2015

<u>प्रेस नोट</u>

विषयः झारखण्ड विधान सभा की रिक्ति भरने के लिए 72-लोहरदगा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन की घोषणा निरस्त करना - तत्संबंधी।

आयोग ने दिनांक 21 अक्तूबर, 2015 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/60/2015 के द्वारा झारखण्ड विधान सभा की रिक्ति को भरने हेतु 72-लोहरदगा (अ.ज.जा.) से उप-निर्वाचन की घोषणा की थी। झारखण्ड में उप-निर्वाचन के मतदान की तिथि 21 नवम्बर, 2015 है और मतगणना की तिथि 24 नवम्बर, 2015 है।

अब राज्य निर्वाचन आयुक्त, झारखण्ड ने सूचित किया है कि झारखण्ड में 22 एवं 28 नवम्बर, 2015 और 5 एवं 12 दिसम्बर, 2015 को चार चरणों में निर्वाचन करवाए जा रहे हैं। चूंकि यह अनुसूची और पंचायत निर्वाचनों की अनुसूची एक ही समय पर पड़ रही है और अन्य प्रशासनिक कारणों की वजह से राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि 72-लोहरदगा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन को पुनः अनुसूचित किया जाए।

इस मामले पर विचार करने के उपरान्त आयोग दिनांक 21 अक्तूबर, 2015 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/60/2015 के द्वारा झारखण्ड विधान सभा में 72-लोहरदगा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन की अपनी घोषणा को एतद्द्वारा रद्द करता है। 72-लोहरदगा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन कराने के लिए एक अलग अनुसूची उचित समय पर घोषित की जाएगी ताकि उप-निर्वाचन की प्रक्रिया 22 दिसम्बर, 2015 से पूर्व पूरी की जा सके।

(सुमित मुखर्जी)
सचिव